तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.02.2020	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 13/2019 अनवान उदाराम बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। हमने पत्रावली में उपलब्ध रेकर्ड एवं तथ्यों का अवलोकन व अध्ययन किया। तहसीलदार लूणी के पत्र कमांक/भू.अ./2019/3603 दिनांक 04.12.2019 के रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भाण्डू खुर्द के नामान्तरकरण संख्या 115 में हड़मानराम, उदाराम पि. सांवलराम जाति पटेल सा कटारडा दर्ज है जो सही है। नई जमाबंदी तहरीर करते समय प्रार्थी का खाता हड़मानराम, अणदाराम पि. सांवलराम जाति जाट सा देह दर्ज हो गया जो गलत है। प्रार्थीगण के अन्य और खसरा संख्या 18, 21 जिसमें प्रार्थी का नाम उदाराम पि. सांवलराम जाति पटेल सा कटारडा दर्ज जो सही है। प्रस्तुत प्रकरण के उभय पक्ष को सुना गया तथा पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड एवं पहचान पत्र अणदाराम एवं उदाराम नाम के एक ही प्राथी होना प्रथमदृष्टया प्रकट हुआ है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अणदाराम के स्थान पर उदाराम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0राजस्व अधिनियम 1956 के स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के ग्राम भाण्डू खुर्द के खसरा नम्बर 5/1 रकबा 32 बीघा किस्म बारानी प्रथम व खसरा नम्बर 5/2 रकबा 40 बीघा 8 विस्वा किस्म बारानी प्रथम दर्ज कृषि भूमि में प्रार्थी के हिस्से की भूमि से संबंधित समस्त राजस्व अभिलेखों में अणदाराम पुत्र सांवलराम के स्थान पर उदाराम पुत्र सांवलराम जाति पटेल निवासी ग्राम कटारड़ा तहसील लूणी जिला जोधपुर तहसीलदार लूणी को रेकर्ड दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी (जोधपुर) राज.

Scanned by CamScanner